न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/23/2021	2021/103	27.07.2021	17.12.2025

1.हनुमान सहाय पुत्र श्री हरिशचन्द्र,
2.मूलचन्द पुत्र हरिशचन्द्र, जाति ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम चितोरा, तहसील राजगढ, जिला अलवर राजस्थान, राज०।

——अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रमेशचन्द्र पुत्र हरिशचन्द्र जाति ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम चितोरा, तहसील राजगढ, जिला अलवर राजस्थान, राज०।
2. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

—— रैस्पाडैन्ट्स

राजस्व प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आज्ञा दिनांक 29.09.2020 तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

उपस्थितः—
01. श्री गणपत सिंह नरूका —वकील अपीलाण्ट्स
02. श्री दशरथ सिंह नरूका —वकील रेस्पोडेन्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के आदेश दिनांक 29.09.2020 प्रार्थना पत्र रमेशचन्द्र द्वारा प्रस्तुत किया था जिसमें पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की है। जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि ग्राम चितोस, पटवार हल्का भजेडा, तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित भूमि खाता संख्या 144, खसरा नम्बर—2, 203, 204, 215, 222,336 कुल किता 6 कुल रकबा 5.06 हैक्टेयर व खाता संख्या 71 व खाता संख्या 72 में स्थित भूमि में अपीलार्थीगण हनुमान सहाय पुत्र हरिशचन्द्र एवं मूलचन्द पुत्र हरिशचन्द्र व रमेशचन्द पुत्र हरिशचन्द्र का बराबर बराबर 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहा है तथा इसी हिस्सेनुसार अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट संख्या—1 उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेंट संख्या—1 ने तहसीलदार महोदय तहसील राजगढ़ जिला अलवर के यहां एक प्रार्थनापत्र कोई तारीख अंकित किये बिना यह आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम चितोस, पटवार मण्डल भजेडा के खसरा नम्बर 2, 203, 204, 215, 222, 336 किता 6 रकबा 5.06 हैक्टेयर में रमेशचन्द शर्मा का नाम जोडने के कम में धारा 166 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर यह उल्लेख किया कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में आरम्भ से ही 1/2 हिस्से का मालिक काबिज खातेदार हूँ। भू प्रबंध खतौनी संख्या 2046 से 2065 के खाता संख्या 71 में हिस्सा 1/2 व खाता संख्या 72 में हिस्सा 1/4 का खातेदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

दर्ज रिकार्ड हूँ। भू प्रबंध खतौनी में पटवारी हल्का द्वारा आधार वर्ष की जमाबंदी सम्वत 2046 के खाता संख्या 71 में हिस्सा 1/2 व खाता संख्या 72 में 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज है। इसके पश्चात चौसाला जमाबंदी सम्वत 2049 से 2052 बनाते समय पटवारी हल्का ने पडत सरकार के खाता संख्या 106 में प्रार्थी का नाम 1/2 पर दर्ज कर दिया। किन्तु भूलवश पडत पटवार के उसी खाता संख्या 106 में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 पर नाम छोड दिया जबकि खाता संख्या 107 में दोनो पडत में प्रार्थी का नाम दर्ज है। उक्त चौसाला सम्वत 2049 की पडत पटवार में नाम छुट जाने के कारण अगले वर्षो की जमाबंदी में भी नाम दर्ज नहीं किया गया तथा उक्त खाते का हिस्सा 1/2 के खातेदार हरिशचन्द्र पुत्र श्री शंकर की मृत्यु होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 113 से हरिशचन्द्र की विरासत हनुमान सहाय, रमेशचन्द्र मूलचन्द पिसरान हरिशचन्द्र के नाम दर्ज कर दी जो कि वर्तमान में खातों में दर्ज है। इस प्रकार से सम्वत 2049 की चौसाला जमाबंदी पडत पटवार में हुयी गलती के कारण आज दिनांक तक उक्त खसरा नम्बर 2, 203, 204, 215, 222, 336 कुल किता 6 कुल रकबा 5.06 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 की खातेदारी से वंचित हूँ। क्योकि उक्त गलती जमाबंदी बनाते समय हुयी है, पटवारी के कारण हुयी है. मुझे इस बात का पता अभी चला है। अतः धारा 166 के तहत शुद्ध कर उक्त खसरा नम्बर के मुझ प्रार्थी का हिस्सा 1/2 दर्ज करने की कृपा करें। इसी ग्राम के अन्य खाता खसरा नम्बर 214,216,217 में मेरा हिस्सा बदस्तुर चला आ रहा है जो सही है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि मेरा हिस्सा 1/2 वर्तमान खाता संख्या 144 में शुद्ध करने की कृपा करें।

उक्त आवेदन के आधार पर तहसीलदार महोदय राजगढ, अलवर राज. ने पटवारी हल्का भजेडा को पत्र कमांक/भू. अभि./2020/1832 दिनांक 07.09.2020 के जरिये प्रेषित कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। जिस पर पटवारी हल्का भजेडा द्वारा दिनांक 11.09.2020 को तहसीलदार महोदय के द्वारा प्रेषित पत्र के अनुरूप अपनी रिर्पोट तैयार कर हनुमान सहाय पुत्र हरिशचन्द्र का हिस्सा 1/3, रमेशचन्द्र पुत्र हरिशचन्द्र हिस्सा 1/3, मूलचन्द पुत्र हरिशचन्द्र हिस्सा 1/3 के स्थान पर हनुमान सहाय पुत्र हरिशचन्द्र का हिस्सा 1/6, रमेशचन्द्र पुत्र हरिशचन्द्र हिस्सा 1/6, मूलचन्द पुत्र हरिशचन्द्र हिस्सा 1/6 रमेशचन्द्र पुत्र हरचन्द हिस्सा 1/2 जाति ब्राहम्ण का नाम अंकित करना उचित होना उल्लेखित करते हुये इस आशय की रिर्पोट तहसीलदार महोदय, राजगढ जिला अलवर को प्रस्तुत की जिसके आधार पर तहसीलदार महोदय राजगढ़ ने आदेश कमांक/भू. अभि./2020/2004 दिनांक 22.09.2020 के आधार पर दिनांक 29.09.2020 को उक्त खाता बिना अपीलार्थीगण पीडित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दुरुस्त किये जाने बाबत पारित कर उक्त अविधिक आदेश की अनुपालना में तहसीलदार महोदय के द्वारा दिनांक 29.09.2020 को विधि में निहित प्रावधानो के विपरित जाकर उक्त इन्द्राज बाबत स्वीकृति स्वरूप राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया है। जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक को 22.07.2021 सर्वप्रथम जानकारी होने पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 26.07.2021 को तैयार होकर अपीलार्थीगण को प्राप्त हुयी जिससे उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर राज.ने दिनांक 29.09.2021 को जो आलौच्य आदेश पारित किया गया है वह विधि विरूद्ध व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के जाकर पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2, 203, 204, 215, 222, 336 कुल किता 6 कुल रकबा 5.06

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

हैक्टेयर के रिकार्डेड खातेदार कृषक है तथा उक्त भूमि में अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट संख्या–1 का 1/3–1/3 हिस्से के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार कृषक के रूप में नाम अंकित हो रहा है तथा इसी हिस्से के अनुरूप अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट सं 1 उक्त भूमि पर काबिज होकर अपने अपने 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा लगान भी इसी के अनुरूप अदा करते आ रहे है लेकिन पटवारी हल्का भजेडा एवं तहसीलदार महोदय राजगढ़ ने बिना कब्जे की जांच किये तथा बिना पीडित पक्षकार अपीलार्थीगण को बिना सूचनापत्र दिये बिना ही रिकार्डेड खातेदार कृषक का नाम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रिकार्ड में दर्ज कर परिवर्तन कर दिया जबकि अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उन्हे किसी प्रकार का आदेश पारित करना चाहिये था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने न तो उक्त प्रार्थनापत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था ना ही सक्षम न्यायालय के बिना किसी आदेश के उन्हे राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का कोई विधिक अधिकार ही प्राप्त है। लेकिन रेस्पोडेंट संख्या–1 से तहसीलदार महोदय (भू अभि) राजगढ ने नाजायज सांठगांठ व कोल्युजन कर प्रलोभन मे आकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना पीडित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने के आदेश पारित कर गम्भीर कानूनी भूल की है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.09.2020 अपास्त किये जाने योग्य है। हरचन्द नाम का कोई खातेदार कृषक ग्राम चितोस में नहीं है, ना ही रमेशचन्द के पिता का नाम हरचन्द ही है। बल्कि हरिशचन्द्र पुत्र शंकर ही उक्त भूमि के एकमात्र रिकार्डेड खातेदार कृषक थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके तीन पुत्र हनुमान सहाय, रमेशचन्द व मूलचन्द जो स्व० हरिशचन्द्र जी के जायज वारिस व कानूनी उत्तराधिकारी थे के नाम से उक्त भूमि का नामान्तकरण विधिवत रूप से खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त तीनो व्यक्तियों का 1/3–1/3 हिस्से के अनुरूप बतौर खातेदार कृषक के रूप में नाम अंकित किया जाये तथा उसी हिस्से के अनुसार उपरोक्त तीनो व्यक्ति अपने अपने 1/3–1/3 हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन ना तो पटवारी हल्का भजेडा ना ही तहसीलदार महोदय राजगढ जिला अलवर ने इस बावत किसी प्रकार की कोई जांच न कर पटवारी हल्का भजेडा की गलत रिर्पोट के आधार पर बिना पीडित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 29. 09.2020 को राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का जो आदेश अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय राजगढ ने पारित किया है वह विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय सिद्वान्त के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

हरिशचन्द्र व हरचन्द एक ही व्यक्ति है अलग अलग व्यक्ति नहीं है। एवं रमेशचन्द ही हरिशचन्द्र जी का ही जायन्दा पुत्र है। लेकिन प्रार्थनापत्र में रमेशचन्द ने गलत रूप से हरिशचन्द जी के नाम के आगे उर्फ लगाकर हरचन्द लिखा है। इसका तात्पर्य भी यही है कि हरिशचन्द व हरचन्द एक ही व्यक्ति है उसके बावजूद भी उक्त भूमि में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट सं 1 के पिता का नाम हरिशचन्द्र लिखे जाने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ ने इस बाबत किसी प्रकार की कोई जांच न कर राजस्व रिकार्ड मे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर संशोधित करने के आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है जिससे अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रमेशचन्द जैसा उसने अपने आवेदन में हरिशचन्द्र उर्फ हरचन्द लिखा है एवं उक्त आवेदन में लिखे गये उक्त नाम के आधार पर रमेशचन्द्र पुत्र हरचन्द के नाम से 1/2 हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित करने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय ने पारित किया है वह बिना किसी जांच के पारित किया है। रमेशचन्द ने अपने आवेदन के साथ ऐसा कोई दस्तावेज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

प्रस्तुत नहीं किया गया था कि हरिशचन्द्र व हरचन्द दोनो अलग अलग व्यक्ति है तथा उक्त भूमि में हरिशचन्द व हरचन्द का बराबर बराबर 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित हो रहा है जिससे हरचन्द का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट सं 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर हरचन्द का 1/2 हिस्सा रमेशचन्द के नाम से दर्ज कर दिया जावे ऐसा कोई प्रमाण अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेंट सं 1 ने प्रस्तुत नहीं किया है। फिर भी बिना किसी आधार के अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व मे जो रिकार्ड में स्व० हरिशचन्द्र के तीन पुत्र हनुमान सहाय, रमेशचन्द व मूलचन्द के नाम से जो रिकार्ड में बतौर खातेदार कृषक के रूप में नाम अंकित हो रहा है उन खातेदारो को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रमेशचन्द पुत्र हरचन्द के नाम से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित करने का जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध व अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिनांक 29.09.2020 को पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रमेशचन्द को हरिशचन्द्र अथवा हरचन्द की सम्पति में से कानूनन एक ही हिस्सा प्राप्त हो सकता है। लेकिन हरिशचन्द्र की भूमि में से रमेशचन्द ने उक्त शुद्धि पत्र के आधार पर 1/6 हिस्से का नाम रमेशचन्द पुत्र हरिशचन्द तथा 1/2 हिस्से का नाम रमेशचन्द पुत्र हरचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया तथा उक्त विधि विधि विरूद्ध प्रस्तुत किये गये आवेदन पर ही तहसीलदार राजगढ जिला अलवर द्वारा राजस्व रिकार्ड में पटवारी हल्का भजेडा की गलत रिर्पोट के आधार पर एवं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने का आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक .29.09.2020 निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय राजगढ को न तो रेस्पोडेंट सं 1 का तथाकथित आवेदन जो बिना किसी तारीख अंकित किये बिना प्रस्तुत किया गया है तथा उसमें धारा 166 का उल्लेख किया गया है कि उक्त धारा के तहत राजस्व रिकार्ड में रमेशचन्द पुत्र हरचन्द का नाम अंकित कर दिया जावे। लेकिन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 166 मे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि तहसीलदार महोदय ही उक्त धारा के अधीन राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व डिकी के बिना ही तहसीलदार महोदय को राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय ने अप्रार्थी सं 1 व पटवारी हल्का भजेडा से नाजायज सांठगांठ व कोल्युजन कर दिनांक 29.09.2020 को जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में तृटीवश सहवन से कोई रकबे के संबंध में गलत इन्द्राज हो जाता है तो उस हेतु प्रावधान बने हुये है व धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत सक्षम उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहां नियमित वाद प्रस्तुत कर पीडित पक्षकारो को एवं तहसीलदार व भू अभिलेख अधिकारी को पक्षकार बनाकर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। लेकिन तहसीलदार महोदय राजगढ ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पटवारी हल्का भजेडा की रिर्पोट दिनांक 11.09.2020 के आधार पर दिनांक 29.09.2020 को जो आदेश पारित किया गया है वह नैसर्गिक व प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। किसी भी राजस्व रिकार्ड में दौराने सैटलमेन्ट अथवा भूलवश किसी प्रकार की त्रुटी हो जाने पर भी उस त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार तहसीलदार महोदय को प्राप्त नहीं है बल्कि सक्षम उपखण्ड अधिकारी महोदय को उक्त सहवन से हुयी त्रूटी को पीडित पक्षकार द्वारा नियमित वाद प्रस्तुत करने पर ही उक्त त्रृटि को सक्षम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

न्यायालय सभी पीडित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर दुरूस्त करने का आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय राजगढ द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधि विरूद्ध आदेश बिना पीडित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पीडित पक्षकारो को तलब करवाये बिना उक्त विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.09.2020 निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो अवैध आदेश पारित किया है उसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई समयावधि निश्चित नहीं होती है। जब भी पक्षकार की जानकारी में आये उसी समय पीडित पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है उक्त आदेश पर समयावधि नहीं होती है। उक्त आदेश दिनांक 29.09.2020 को पारित किया गया है, उक्त अवधि में वैश्विक महामारी कोविड–19 की समयावधि में उक्त आदेश पारित किया गया है। जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राजस्व मण्डल अजमेर व राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अवधि के संबंध में छूट प्रदान की गई है। जिससे उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम बार दिनांक 22.07.2021 को जानकारी होने पर उन्होने बिना किसी देरी के उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त हुयी जिससे जानकारी से उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अपीलार्थी को दिनांक 16.07.2021 को सुबह 7:00 बजे अपीलार्थीगण अपने अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर ट्रेक्टर द्वारा जुताई करने गये तो रेस्पोडेंट सं 1 ने रूकावट पैदा की व लडाई झगडा करने पर आमदा हो गया तथा उक्त भूमि कों अन्य व्यक्तियों को विकय हस्तान्तरण करने व अपीलार्थीगण को उनके 1/3–1/3 हिस्से की भूमि से बेदखल करने व अपीलार्थी को रिहायश करने हेतु पक्के मकानात व पशु बाडे बने हुये है उनसे बेदखल करने की धमकी एवं उसने बताया कि राजस्व रिकार्ड व जमांबदी मे अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट सं 1 का नाम 1/3–1/3 के रूप में जो इन्द्राज हो रहा है उसको तहसीलदार राजगढ व पटवारी भजेडा से मिलकर बदला दिया है एवं उक्त भूमि में मेरा 1/6 हिस्सा रमेशचन्द पुत्र हरिशचन्द के नाम से एवं 1/2 हिस्सा रमेशचन्द पुत्र हरचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज करवा लिया है। जिस पर उसी दिन अपीलार्थी सं 2 जो वृद्धावस्था के कारण चलने फिरने में असमर्थ है क्योकि वह विकलांग है तथा उनका हार्ट का आप्रेशन भी हो रखा है इसलिए उन्होने अपने पुत्र गिर्राज को तहसील कार्यालय मे जाकर राजस्व रिकार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु भेजा जिस पर गिर्राज ने राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु तथा तहसीलदार महोदय राजगढ जिला अलवर के आदेश की प्रमाणित 22.07.2021 प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक22.07.2021 को प्रस्तुत किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर मियाद 30 रोज की अवधि में प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 को निरस्त फरमाया जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉड तलब किया गया।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम चितोस, पटवार हल्का भजेडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर में स्थित भूमि खाता संख्या 144, खसरा नम्बर 02, 203, 204, 215, 222, 336 कुल किता 6, कुल रकबा 5.06 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट्स (हनुमान सहाय, मूलचन्द पिता हरिशचन्द) व रेस्पोडेण्ट सं. 1 (रमेशचन्द्र पिता हरिशचन्द) तीनों भाइयों का नाम उनके पिता स्व. हरिशचन्द्र की मृत्यु उपरान्त विरासतन 1/3–1/3 हिस्से के रूप में दर्ज था। रेस्पो0 संख्या–1 रमेशचन्द्र ने तहसीलदार राजगढ़ के समक्ष धारा 136/166 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह कथन किया गया कि वह उक्त भूमि में आरम्भ से ही 1/2 हिस्से का मालिक है, न कि 1/3 का। उसने दावा किया कि भू–प्रबन्ध के समय उसका हिस्सा 1/2 था, लेकिन सम्वत 2049 की जमाबंदी बनाते समय त्रुटिवश उसका नाम छूट गया। उसने अपने पिता का नाम 'हरिशचन्द्र उर्फ हरचन्द' बताते हुए रिकॉर्ड दुरुस्त करने की मांग की। तहसीलदार राजगढ़ ने पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 11.09.2020 के आधार पर, बिना अपीलाण्ट्स को नोटिस दिए, दिनांक 29.09.2020 को आदेश पारित कर रमेशचन्द्र के नाम 'रमेशचन्द्र पुत्र हरचन्द' के रूप में 1/2 हिस्से पर और 'रमेशचन्द्र पुत्र हरिशचन्द्र' के रूप में शेष भूमि में 1/6 हिस्से पर दर्ज कर दिया गया, जिससे अपीलार्थीगण का हिस्सा 1/3 से घटकर 1/6 रह गया। इसी आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाण्ट्स रिकॉर्डेड खातेदार हैं, परन्तु उनके हिस्से को कम करने से पूर्व उन्हें न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि 'हरिशचन्द्र' और 'हरचन्द' एक ही व्यक्ति (पिता) के नाम हैं। एक ही व्यक्ति की विरासत में एक पुत्र (रमेशचन्द्र) को दो बार हिस्सा (एक बार हरचन्द का पुत्र बनकर 1/2, और दूसरी बार हरिशचन्द्र का पुत्र बनकर 1/6 हिस्सा देना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अनुचित है। तहसीलदार को धारा 166 के तहत स्वत्व और हिस्से का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, यह कार्य सक्षम उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करके ही हो सकता था।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया। यह निर्विवाद है कि दिनांक 29.09.2020 के आदेश से पूर्व अपीलाण्ट्स, जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज था, को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया। किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों या हिस्से में कमी करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारों को सुने एकपक्षीय रूप से रिकॉर्ड में परिवर्तन कर गम्भीर विधिक भूल की है। तहसीलदार को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 या 166 के तहत केवल लिपिकीय त्रुटियों

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

को सुधारने का अधिकार है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपने हिस्से को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करने का दावा किया था, जो कि स्वत्व और हिस्से का विवाद है। हिस्से का निर्धारण या घोषणा करने का अधिकार केवल सक्षम राजस्व न्यायालय (सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी) को नियमित वाद में ही प्राप्त है। तहसीलदार ने सरसरी प्रक्रिया (Summary Proceeding) अपनाकर स्वत्व का निर्धारण किया है, जो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मूल खातेदार 'हरिशचन्द्र' थे। रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने स्वयं स्वीकार किया है कि हरिशचन्द्र और हरचन्द एक ही व्यक्ति हैं। विधि की दृष्टि में एक ही पिता की मृत्यु पर, उसके एक पुत्र को दो अलग–अलग पहचान (हरचन्द और हरिशचन्द्र) के आधार पर दो बार हिस्सा नहीं दिया जा सकता। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश से रमेशचन्द्र को 'पुत्र हरचन्द' मानकर 1/2 हिस्सा दिया गया और पुनः 'पुत्र हरिशचन्द्र' मानकर शेष में से हिस्सा दिया गया, जबकि अन्य भाइयों (अपीलाण्ट्स) को केवल 1/6 हिस्सा दिया गया। यह बँटवारा प्रथम दृष्टया ही अवैध, अतार्किक और कानूनन पोषणीय नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 11.09.2020 केवल एक अनुशंसा थी। तहसीलदार को न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए यह देखना चाहिए था कि क्या पुराने रिकॉर्ड (संवत 2046) को बदलने से वर्तमान दर्ज खातेदारों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2020 विधि विरुद्ध, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किया गया है। 'हरिशचन्द्र' और 'हरचन्द' को दो अलग व्यक्ति मानकर या एक ही व्यक्ति के वारिस को दोहरा लाभ देकर अन्य वारिसों (अपीलाण्ट्स) के अधिकारों का हनन किया गया है। अतः अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2020 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर